संख्या–रिट–15 / 15–7–2023

प्रेषक,

डॉ0 रूपेश कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2– शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

3– समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

4– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7 **लखनऊः दिनांक 16 फरवरी, 2023**

विषयः– मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योहित जनहित याचिका संख्या–576 / 2020 आदर्श भूषण बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.01.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जनहित याचिका संख्या–576 / 2020 आदर्श भूषण बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.01.2023 का क्रियात्मक अंश निम्नवत हैः–

Learned counsel for the parties are agreed that present bunch of writ petitions may be disposed of in terms of directions issued by the Supreme Court in Indian School's case (supra). The operative portion thereof is extracted below:-

139. Ordinarily, we would have thought it appropriate to relegate the parties before the regulatory authority to refix the school fees for the academic year 2020-21 after taking into account all aspects of the matter including the advantage gained by the school management due to unspent overheads/expenses in respect of facilities not availed by the students. However, that course can be obviated by the arrangement that we propose to direct in terms of this judgment.

141. We are conscious of the fact that we are issuing general uniform direction of deduction of 15% of the annual school fees in lieu of unutilised facilities/activities and not on the basis of actual data schoolwise. As aforesaid, we have chosen to do so with a view to obviate avoidable litigation and to give 2 WPIL No. 576 of 2020 finality to the issue of determination and collection of school fees for the academic year 2020-21, as a one-time measure which is the subject-matter of these appeals. We have consciously limited the quantum of deduction from annual school fees to 15% although the school management had mentioned about its willingness to provide 25% scholarship to deserving students, as we have compelled the school management to collect annual school fees for the academic year 2020-21 as was fixed for the academic year 2019-20 on which some of the school

management(s) could have legitimately asked for increase of at least 10% in terms of Section 6(5) of the 2016 Act.

It is made clear that in case any fee has been paid in excess of what has been determined by the Supreme Court in the aforesaid judgment, in the case of the students still studying, the same may be adjusted in the fee to be paid in future. In case of students who have passed out or left the school, the amount may be calculated and returned to those students. Let the entire exercise be done within two months of date.

2– मा0 न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 06.01.2023 के अनुपालन में प्रदेश में संचालित समस्त विद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020–21 में लिये गये शुल्क के समायोजन / शुल्क वापसी के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक:शिविर / 31370 / 2022–23, दिनांक 23.01.2023 द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

3– आप अवगत ही है कि कोरोना वायरस(कोविड–19) के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के दृष्टिगत शासन के पत्रांक–756 / 15–7–2020–1(20) / 2020, दिनांक 27.04.2020 द्वारा निम्नवत निर्देश दिये गये थे:–

''कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत लॉकडाउन के कारण उत्पन्न आपात परिस्थितियों के दृष्टिगत जनहित एवं छात्रहित में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में संचालित समस्त बोर्डों के समस्त विद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए शुल्क वृद्धि न की जाय तथा शैक्षणिक सत्र 2019–20 में नए प्रवेश तथा प्रत्येक कक्षा हेतु लागू की गयी शुल्क संरचना के अनुसार ही शैक्षणिक सत्र 2020–21 में छात्र / छात्राओं से शुल्क लिया जाय। यदि किसी विद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020–21 में शुल्क वृद्धि करते हुए, बढ़ी हुई दरों से शुल्क लिया जा चुका है तो बढ़ी हुई अतिरिक्त शुल्क को आगामी महीनों के शुल्क में समायोजित किया जाय।''

4– मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित जनहित याचिका संख्या–576 / 2020 आदर्श भूषण बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.01.2023 के समादर में शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त छात्रहित एवं जनहित में निम्नवत निर्णय लिया गया है:–

1. प्रदेश में संचालित समस्त बोर्डों के समस्त विद्यालयों द्वारा शासनादेश दिनांक 27.04.2020 द्वारा निर्धारित शुल्क दरों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2020–21 में लिये गये शुल्क की 15 प्रतिशत आगणित धनराशि को वर्तमान शैक्षिक सत्र में समायोजित किया जाय तथा विद्यालय से अध्ययनोंपरान्त अथवा विद्यालय को छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों को उक्तानुसार धनराशि वापस कर दी जाय।
2. उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न किये जाने से यदि कोई छात्र या संरक्षक अथवा अभिभावक अध्यापक ऐसोसिएशन क्षुब्ध है तो उनके द्वारा उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 की धारा–8 के अन्तर्गत जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की जायेगी। तत्कम में जनपदीय समिति यथोचित निर्णय लेगी।

3. उक्त के अतिरिक्त यदि कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय या कोई व्यक्ति, जो जिला शुल्क नियामक समिति निर्णय से व्यथित/क्षुब्ध हो, वह अधिनियम की धारा–8(11) के अन्तर्गत मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसका सम्यक निस्तारण मण्डलीय प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

5– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 रूपेश कुमार)
विशेष सचिव।